कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर

पत्रांकः– 974/पॉंच–रा.प.व. दिनांकः 25 जून, 2022

प्रेस–विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–618/9–9–2016–170 ज–2006 लखनऊ, 8 सितम्बर 2016 की अधिसूचना में दिये गये प्राविधानो के तहत अम्बेडकर तिराहे से जिलाधिकारी महोदय के आवास की बाउण्ड्री व गॉधी तिराहे तक ठेला पर सब्जी/फल बेचने वाले पथ विक्रेताओ का सर्वेक्षण नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा दिनांक–23.03.2022 को किया गया। जिनमें इनकी संख्या कुल 62 पायी गयी, जिसमें 25 पथ विक्रेता ऐसे पाये गये जो अलग–अलग संयुक्त परिवार से थे जिनको एक परिवार से एक व्यक्ति के आवंटन के दृष्टिकोण से अब कुल 46 व्यक्ति पाये गये। नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम मे पानी की टंकी के निकट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवास के सामने सड़क के दूसरे पटरी के बाद नाले के ऊपर निर्मित कुल 46 चबूतरा जो 7 सेक्टरो मे बना है, जिसमें सेक्टर 5 व 6 फल, जूस, सेक्टर 7 फास्ट फूड व सेक्टर 1,2,3,4 सब्जी विक्रय हेतु निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्येक चबूतरा (7X4) दिनांक–11.12.2018 को पथ विक्रय समिति द्वारा निर्धारित किये गये किराये के आधार पर लाटरी व्यवस्था द्वारा आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका आवंटन वेंडिंग जोन अम्बेडकर तिराहे पर दिनांक–02/07/2022 को सायं 7 बजे लाटरी व्यवस्था द्वारा किया जायेगा। अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नियत स्थान व समय पर पहुचकर लाटरी व्यवस्था द्वारा अपना आवंटन करायें। उक्त आवंटन में:–

1:– एक परिवार को एक ही चबूतरा आवंटित किया जायेगा।
2:– आवंटी की मृत्यु हो जाने की दशा में पुनः आवंटन हेतु उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–818/9–9–2016–170 ज–2006 लखनऊ, 8 सितम्बर 2016 की अधिसूचना में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी।
3:– आवंटी किसी दशा में किसी अन्य को पट्टा या विक्रय नही कर सकता।
4:– उक्त आवंटित होने वाले चबूतरे के किराया का निर्धारण उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–818/9–9–2016–170 ज–2006 लखनऊ, 8 सितम्बर 2016 के तहत गठित पथ विक्रय समिति के दिनांक–11.12.2018 के निर्णय के तहत 30 रूपया प्रतिदिन किया गया है।
5:–यह आवंटन पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का होगा किसी तरह का कोई निर्माण अथवा स्थायी ढांचा वेंडर द्वारा निर्मित नही किया जा सकेगा अन्यथा की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त होगा एवं सम्बन्धित वेंडर को बेदखल कर दिया जायेगा।
6:– यदि कोई वेंडर किसी कारण से आवंटित स्थल पर वेंडिंग करने में असमर्थ होता है तो नगर पालिका को यह अधिकार होगा कि उस स्थान पर किसी अन्य वेंडर को उपर्युक्त कार्यवाही कर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

संलग्नकः– सर्वे मे पाये गये पथ विक्रेताओ की सूची नगर पालिका परिषद जौनपुर के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है तथा नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध के साथ–साथ न0पा0परि0 जौनपुर के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

(सन्तोष कुमार मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

माया टंडन
(माया टण्डन)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी, महोदय जौनपुर।
2– वरिष्ठ पुलीस अधीक्षक, महोदय जौनपुर।
3– अपर जिलाधिकारी महोदय/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर।

1ax farida

Scanned with CamScanner

4– मा0अध्यक्ष महोदया नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

5– नगर मजिस्ट्रेट महोदय जौनपुर को उनके निर्देश के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

6– सी0ओ0 सीटी महोदय जौनपुर।

7– थानाध्यक्ष लाईन बाजार लाटरी पद्धति द्वारा आवंटन के समय स्वयं उपस्थित रहकर शान्ति व्यवस्था बनाये।

8– कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक, महोदय नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

9– सम्पादक/सम्वादाता, दैनिक सामाचार पत्र ......हिन्दुस्तान...... को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना एक बार कम से कम स्थान मे सरकारी दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल के साथ सामाचार पत्र की 03 प्रतिया भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

10– राजस्व लिपिक को पत्रावली के रख–रखाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11– न0पा0परि0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

12– कार्यालय प्रति।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

Scanned with CamScanner